कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

—:: निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन ::—
(विशेष भर्ती अभियान)

क्रमांक /स्था/सीधी भर्ती/2015 दिनांक / /2015

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर के नाम से प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13—4/2015/आ.प्र./1—3 दिनांक 24.02.2015 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में **निःशक्तजनों लिए चिन्हांकित सीधी भर्ती के पदों की रिक्तयों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु** छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन—पत्र ***प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)*** में **दिनांक 14.01.2016** सायं **05.00** बजे तक आमंत्रित किये जाते हैः—

1. **पदनाम तथा वेतनमानः —**

(क) प्रयोगशाला तकनीशियन — 5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400
(ख) प्रयोगशाला परिचारक — 5200—20200 + ग्रेड वेतन 1800
(ग) बुक लिफ्टर — 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300
(घ) भृत्य — 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300
(ड) स्वीपर — 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300

नोट :— वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

2. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	कुल पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400	9	1—श्र.बा. 2—अ.बा.	1—श्र.बा. 1—अ.बा.	1—श्र.बा. 1—अ.बा.	1—श्र.बा. 1—अ.बा.
2	प्रयोगशाला परिचारक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1800	14	1—दृ.बा. 1—श्र.बा. 2—अ.बा.	1—दृ.बा. 1—श्र.बा. 1—अ.बा.	1—दृ.बा. 2—श्र.बा. 1—अ.बा.	1—दृ.बा. 1—श्र.बा. 1—अ.बा.
3	बुक लिफ्टर	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	2	1—श्र.बा.	—	1—अ.बा.	—
4	भृत्य	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	8	1—दृ.बा. 1—अ.बा.	1—दृ.बा. 1—श्र.बा.	1—श्र.बा. 1—अ.बा.	1—अ.बा. 1—दृ.बा.
5	स्वीपर	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	2	1—दृ.बा.	—	1—श्र.बा.	—

नोटः — 1. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. रिक्त पदों में विवरण अनुसार आरक्षण का नियमानुसार पालन किया गया है ।
3. दृ.बा. =दृष्टि बाधित, अ.बा. =अस्थी बाधित, श्र.बा. =श्रवण बाधित,

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें :—**

(क) प्रयोगशाला तकनीशियन —स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय ।

(भैतिक, रसायन, प्राणी, वनस्पति, भूगोल, गृहविज्ञान, भूविज्ञान, मनोविज्ञान)

वांछनीय :— हिन्दी मुद्रलेखन का अनुभव ।

(ख) **प्रयोगशाला परिचारक** –10 वीं परीक्षा संबंधित विषय से उत्तीर्ण ।

(विज्ञान, गृह विज्ञान एवं भूगोल)

(ग) **बुक लिफ्टर** – पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण ।

(घ) **भृत्य** – पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण ।

(ड़) **स्वीपर** – पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण ।

नोटः– उक्त सभी पदों के लिए चयन की प्रक्रिया समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर की जावेगी।

4. **आयु सीमा–**

(क) दिनांक 01.01.2016 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट रहेगीः–

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट,

(बी) महिला–शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट,

(सी) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारको के मामलों में अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट।

(डी) परिवार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट,

(ई) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार अथवा गुण्डाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छ.ग. शासन द्वारा उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट,

(एफ) निःशक्तजन उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यह छूट छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःशक्तजन के उद्यमी, पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर, म.प्र. के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ़ के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःशक्तजन प्रत्याशी को ही दी जावेगी।

(जी) विशेष वर्गो के लिये अधिकतम आयु सीमा के लिये देय अन्य छूट यथावत लागू रहेंगी । किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हो, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी :–

(1) उपर्युक्त आयु – सीमा की छूट ऐसे उम्मीदवार के लिये भी स्वीकार्य होगी जो आकस्मिकता निधि में वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारित कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो ।

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) ऐसे उम्मीदवार को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार में की गई सेवाओं का

योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें की उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(5) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द ''भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो, तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवशत्ति रियायतों (आस्टरिंग आउटकेसेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल ईकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी ,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं),

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे एवं

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

नोट :— उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

5. **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासीः —**

(1) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।

(2) इस विषयक सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों की स्व—प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. **अन्य शर्ते :—**

1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्राशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।

(क) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

7. **नियुक्ति चयन विधि :–**

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु उम्मीद्वारों की सूची तैयार किया जाना ।

1. लिखित परीक्षा – 100 अंक

(ख) उपर्युक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूचियां तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूचियां भी तैयार की जायेगी, परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

(ग) पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

(घ) दृष्टि बाधित उम्मीद्वार को लिखित परीक्षा हेतु एक लेखक लाने की अनुमति होगी । लेखक की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित पद, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है, उसके न्यूनतम से कम हो ।

(इ) निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक मान्य होगी ।

8. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।

9. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 14.01.2016** सायं 05.00 बजे

10. **परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी पृथक से दी जावेगी।**

11. **आवेदन पत्र :–** आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं ? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)

12. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा ।

इच्छुक उम्मीदवारों को दिये गये प्रारूप में आवेदन पत्र ***प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)*** को केवल स्पीडपोस्ट /पंजीकृत डाक द्वारा **दिनांक 14.01.2016** सायं 05.00 बजे तक प्राप्त होना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो फुलस्केप सफेद कागज पर निर्धारित प्रपत्र केवल एक तरफ डबल स्पेस में स्वच्छ टंकित कर उसका उपयोग कर सकते है, परन्तु हस्तलिखित आवेदन पत्र (वांछित प्रविष्टियों को छोड़कर) मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदन पत्र केवल निम्नलिखित प्रारूप में ही होना चाहिए)

.... पद हेतु आवेदन पत्र

स्व–प्रमाणित फोटो फोटो चिपकायें	
महिला	पुरूष

प्रति,

प्राचार्य,,
शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)।
पिन.को. नं. **492010**

1 आवेदक/आवेदिका का नाम

2 पिता/पति का नाम

3 माता का नाम

4 जन्म तिथि (01.01.2016 को आयु) वर्ष   माह   दिन

5 स्थायी पता :– ....
....
तहसील........................जिला..................................
पिन कोड ....
मोबाईल नम्बर ....

6 पत्राचार का पता ....
....
तहसील........................जिला..................................
पिन कोड ....

7. निःशक्तता का प्रकार ....
(दृष्टि बाधित, अस्थी बाधित, श्रवण बाधित)

8. श्रेणी (सामान्य,अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग)

अनारक्षित	अपिव	अ.जा	अ.जा.जा.

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

जाति का नाम .... उपजाति ....

9. शैक्षणिक योग्यता :–

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक /प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.						
2.						
3.						
4.						

10 तकनीकी अर्हताएं ....

11. रोजगार कार्यालय का नाम ....

जीवित पंजीयन क्र. एवं दिनांक ....

12. लिंग :— महिला/पुरूष/अन्य जो लागू हो लिखें ....

नीचे 13 से 19 तक के लिए बाक्स में हॉ या नहीं, जो लागू हो लिखकर जानकारी दें तथा जहॉ—जहॉ उत्तर हॉ में हो, उसके पक्ष में प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें :—

13.	क्या आप छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी सेवक है?	
14.	क्या आप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी है?	
15.	क्या आप कार्यभारित कर्मचारी है?	
16.	क्या आपको शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया है?	
17.	क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते है?	
18.	क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आते है?	
19.	क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते है?	

// घोषणा पत्र //

मैं .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅं कि मैंने उक्त आवेदन पत्र का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही अपने को पात्र उम्मीदवार मानते हुए भरा हैं एवं मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी पूर्ण सही है। यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मेरी चयन परीक्षा/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूॅं की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं से सम्बद्ध पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता/करती हूॅं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूॅं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसका विवरण इस आवेदन पत्र में भरा गया है तथा नीचे किया गया हस्ताक्षर मेरा ही है। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नही किया गया है।

दिनांक ....

स्थान .... आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर......

आवेदक का नाम ....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यपित दस्तावेजों का विवरण :—

संलग्नों की सूची :—

1..2..

3..4..

5..6..

7...8..

आवेदक का हस्ताक्षर

....

नाम ....

नोट :—

(1) कोई भी कालम रिक्त न छोड़े, जहॉ जानकारी निरंक हो वहॉ निरंक लिखा जावे।

(2) प्रत्येक पद के लिए अलग—अलग आवेदन स्वीकार्य किया जावेगा ।

(3) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(4) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ***प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)*** को **दिनांक 14.01.2016** सायं 5.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक –

आवेदित पद का नाम – ....

स्व–प्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम ....

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पता :–	
....	परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय
....	
....	
तहसील .... जिला	
पिन कोड –	

नोट :– अनुक्रमांक परीक्षा हेतु परीक्षा का केन्द्र, परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय को छोड़कर शेष सभी प्रविष्टयॉ अभ्यर्थी द्वारा भरी जावे।

प्राचार्य
का हस्ताक्षर पद मुद्रा
सहित